

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला रायपुर (छ.ग.) 492002

फोन नं. 0771-2221346, email-lawdept.cg@gov.in

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 26.10.2026

क्रमांक/ **LAW-42/2305/21-ब/छ.ग./2026** राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित तालिका में दर्शित अधिवक्ता को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए **पैनल लॉयर** नियुक्त करता है-

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन क्रमांक
1	Mr. Vedant Shadangi	546/2020
2	Mr. Kuldeep Singh	177/2014
3	Mr. Ashutosh Raj Sinha	1062/2021
4	Mr. Saurabh Pandey	830/2019
5	Mr. Anurag Agrawal	157/2023
6	Mr. Vikram Dixit	954/2006
7	Mr. Kashish Saluja	D/4242/2016
8	Mr. V. Jayant Kumar	1625/2022
9	Miss Shivangi Agrawal	1341/2021
10	Miss Neelam Jaiswani	672/2020
11	Miss Jaya Choudhary	1163/2021
12	Mr. Anurag Tripathi	199/2021
13	Mr. Treveenishankar Sahu	218/2018
14	Mr. Ravikar Patel	307/2023
15	Mrs. Sunita Sahu	832/2008
16	Miss Rashika Soni	454/2018
17	Miss Shweta Rai	910/2022

18	Hasnain Alvi	81/2016
19	Miss Pratibha Sahu	668/2023
20	Miss Apoorva Ghore	1063/2023
21	Mr. Akshat Pandey	1458/2023
22	Mr. K. Vinayakam Gupta	D/4446/2021
23	Mr. Abhishek Banjare	87/2022

पैनल लॉयर को देय फीस छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के आदेश क्रमांक 4069 Comp. No. 190910 File No. Law-42/2238/2025 दिनांक 31.12.2025 के अध्यक्षीन होगी।

नियुक्त पैनल लॉयर के कर्तव्य और दायित्व छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैनुअल के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप होंगे तथा दोनों पक्ष कभी भी यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे परंतु पैनल लॉयर त्याग पत्र देना चाहे तो एक माह का सूचना पत्र देना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार नियुक्त समस्त पैनल लॉयर, विधि विभाग नियमावली के नियम 09 के अनुरूप निम्नलिखित आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे:-

1. **(अ)** किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा वित्तीय रूप से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है और उनके खिलाफ कोई भी सिविल डिक्री लंबित नहीं या उनके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है।
(ब) किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के द्वारा या राज्य विधिज्ञ परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद जहां उनका पंजीयन हो से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
(स) उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध ठहराया गया है।
(द) तीन वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव रखते हैं।
2. प्राप्त घोषणा पत्र उक्तानुसार प्राप्त में उक्त संबंधित पैनल लॉयर की नियुक्ति हेतु अनर्हता का कोई तथ्य नहीं होने पर ही महाधिवक्ता उन्हें पदभार ग्रहण करने देंगे, यदि कोई प्रतिकूल तथ्य हो तो कार्यभार ग्रहण करने से निषेधित कर विधि विभाग, मंत्रालय को सूचित करेंगे।
3. कृपया कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(मनीष कुमार ठाकुर)

प्रमुख सचिव

विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय

पृष्ठांकन क्रमांक/LAW/2305/2025/21-ब/छ.ग./2026 नवा रायपुर, दिनांक 26.10.2026

1. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.),
2. माननीय महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी बिलापुर (छ.ग.)
3. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव को माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ,
4. माननीय विधि मंत्री जी के निज सचिव को माननीय विधि मंत्री जी के अवलोकनार्थ,
5. प्रमुख सचिव, विधि के अवर सचिव की ओर प्रमुख सचिव, विधि के अवलोकनार्थ,
6. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर की ओर सर्व संबंधित पैनल लॉयर को सूचित किये जाने के संबंध में।
7. सिविल शाखा, याचिका शाखा, आपराधिक शाखा, अभियोजन शाखा, लेखा शाखा, न्यायिक शाखा-2, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.),
8. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पास, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशनार्थ,
9. वेबसाइट एडमिनीस्ट्रेटर, विधि और विधायी कार्य विभाग की ओर विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने बाबत।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भूपेन्द्र कुमार वासनीकर)

अतिरिक्त सचिव

विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय